निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 98/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

एच डी एफ सी बैंक लि॰ पता–एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बापेट मार्ग, लोवर पारेल, वेस्ट मुम्बई। अन्य पता द्वितीय फ्लोर एक्सप्रेस बिल्डिंग 9–10, बहादुर शाह जफर मार्ग आईटीओ, न्यू देहली ।

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स आशीष इण्डस्ट्रीज द्वारा प्रोपराईटर नीता खेण्डेलवाल,
   A- एफ 155 सरना डूगर रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर
   B. एफ 133, एसएफएस रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, रीकर सीकर
2. श्रीमती नीता खण्डेलवाल पत्नी श्री भारत भूषण खण्डेलवाल
3. श्री भारत भूषण खण्डेलवाल पुत्र श्री बाला प्रसाद खण्डेलवाल
   निवासी बी–12, मुखर्जी कालोनी, शास्त्री नगर, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :–श्री जी.सी॰ गर्ग एवं श्री आलोक गर्ग अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

निर्णय — दिनांक 29-08-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 04.08.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी मैसर्स आशीष इण्डिस्ट्रीज के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नम्बर बी–12, मुखर्जी कालोनी शास्त्री नगर, जयपुर क्षेत्रफल 331.98 वर्गमीटर को बन्धक रख कर 275 लाख रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.08.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

2. प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को रजिस्टर्ड सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. वकील प्रार्थी को गौर से सुना गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.08.2018 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इससके बावजूद अप्रार्थी ऋणी के द्वारा बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराई गई है। धारा 13 (2) का नोटिस प्राप्ति की पुष्टि में भारतीय डाक विभाग की डिलीवर्ड/ट्रेकिंग रिपोर्ट की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा पेश की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी मैसर्स आशीष इण्डिस्ट्रीज के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति प्लाट नम्बर बी–12, मुखर्जी कालोनी शास्त्री नगर, जयपुर क्षेत्रफल 331.98 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
5. आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो।
6. आदेश आज दिनांक 29-08-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर